न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठसीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 27/2018मुतफरिक

दायर दि0 15.11.2018
निर्णय दि0 16.1.2019

अनवान

1–श्री कन्हैयालाल पिता श्री केहवजी पाटीदार निवासी डेचा

(प्रार्थी)

बनाम

1–श्री लकसी पिता श्री गोकलजी पाटीदार निवासी डेचा
2– राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थी – श्री शेलेन्द्र जैन
वकील अप्रार्थी – श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रथक से वाद प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 आपस में पडौसी है तथा दोनो एक ही जारी व एक ही गांव के है। प्राथ्री के खातेदारी व कब्जे काश्त की सिंवत 2074 से 77 खाता संख्या 48 नया,43 पुराना में आंशिक सर्वे नबर 1357 रकबा 0.0080हे. डेचा में स्थित है । जिसका प्रार्थी उपयोग व उपभोग करता आ रहा है ।

प्रार्थी के खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 1357 रकबा 1 बीस्वा के पास में ही सटकर अप्रार्थी का मकान है । अप्रार्थी प्रार्थी को डरा धमकाकर जमीन हडपना चाहता है । अप्रार्थी नं0 1 ने अपना पुराना मकान गिराकर प्रार्थी की जमीन पर जबरन नींव खोदकर अतिक्रमण करने को आमादा है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में मूल दावे के निस्तारण तक के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित प्रार्थी की जमीन में प्रवेश नहीं करने प्रार्थी को उक्त खाते की जमीन में उपयोग करने में कोई बाधा या रूकावट पैदा नहीं करने एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करने जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पर प्रर्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत सम्मन जारी किए गए ।

दिनांक 18.12.2018 को दोनो पक्षों को सुना जाकर मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में एवं सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी होने से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने तक अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1357 रकबा 0.0080हे0 में किसी भाग पर मकान निर्मोण नहीं करने ,प्रार्थी के उक्त खसरा में कोई बाधा या रूकावट पैदानहीं करने ,प्रार्थी को बेदखल नहीं करने जारी किया जाकर पाबन्द किया गया ।

दिनांक 7.1.2019 को अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी का यह कथन कि डरा धमकाकर जमीन हडपना चाहता है अस्विकार किया जाकर जवाब के विशेष विवरण में उल्लेख किया कि प्रार्थी बेवजह एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर केवल मात्र अप्रार्थी को तंग एवं परेशान करनि के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत होने पर पक्षकारान अभिभाषक की बहस सूनी गई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कमशः प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा उल्लेखित आराजी उसके खातेदारी है जो प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074–77 मोजा डेचा में आराजी नम्बर 1357 रकबा 0.0080हे. दर्ज रेकार्ड है । अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब में प्रार्थी के खाते की भूमि में अतिकमण नहीं किया जाना बताया है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के खाते की आराजी नम्बर 1357 मोजा डेचा में प्रवेश नहीं करें प्रार्थी को उक्त खाते की जमीन में उपयोग करने में कोई बाधा या रूकावट पैदा नहीं करें एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner